Bihar State Milk Co-Operative Federation Ltd.
बिहार स्टेट मिल्क को-ऑपरेटिव फेडरेशन लि०
Unit:-**Cattle Feed Plant, Hotwar,Ranchi** – 834012 (Jharkhand)
Phone No:- 2275817, Email:- cfpran1993@gmail.com

पत्रांकः प0आ0का0ः विपणनः **755** दिनांक 01.08.2022

परिवहन हेतु निविदा आमंत्रण

पशु आहार कारखाना, होटवार,रॉची द्वारा उत्पादित पशु एंव पक्षी आहारों को 16 सितम्बर 2022 से 15 सितम्बर 2023 तक की अवधि हेतु बिहार एंव झारखण्ड राज्यों के विभिन्न गंतव्यों /स्थानों तक परिवहन हेतु सक्षम परिवहन संवेदकों से मुहरबंद निविदा निबंधित डाक/कुरियर द्वारा आमंत्रित की जाती है ।

- निविदा कागजातों की बिक्री की तिथि एंव समय 04.08.2022 के पूर्वाहन 11.00 बजे से 25.08.2022 के अपराह्न 4.30 बजे तक ।
- निविदा प्राप्ति की तिथि एंव समय 26.08.2022 के अपराह्न 4.30 बजे तक ।
- निविदा खोलने की तिथि एंव समय 27.08.2022 को पशु आहार कारखाना,रॉची में पूर्वाह्न 11.30 बजे।
- निविदा प्रपत्र 1180.00 (एक हजार एक सौ अस्सी रूपये) नगद जमा कर पशु आहार कारखाना, रॉची से कार्यालय अवधि में प्राप्त किया जा सकता है । अथवा कॉम्फेड कि वेवसाईट www.sudha.coop से डाउनलोड कर रू0 1180.00 (एक हजार एक सौ अस्सी) का किसी राष्ट्रीयकृत / अनुसूचित बैंक से बैंक ड्राफ्ट जो **" बिहार स्टेट को–ऑपरेटिव मिल्क प्रोडयूसर्स फेडरेशन लिमिटेड "** के नाम तथा रॉची में भुगतेय होगा संलग्न कर भेजा जा सकता है।
- निविदा के साथ 10,000 (दस हजार) रूपये का डिमान्ड ड्राफ्ट जो किसी राष्ट्रीयकृत / अनुसूचित बैंक का **" बिहार स्टेट को–ऑपरेटिव मिल्क प्रोडयूसर्स फेडरेशन लिमिटेड "** के नाम तथा रॉची में भुगतेय होगा , अग्रधन के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा । निविदा खोलते समय निविदादाता अथवा उनके एक प्राधिकृत प्रतिनिधि ही उपस्थित रह सकते है ।
- बिना कारण बताये सभी या किसी निविदा को रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा ।
- अधिक जानकारी कॉम्फेड की वेवसाईट www.sudha.coop पर उपलब्ध है।

मुख्य कार्यपालक

Bihar State Milk Co-Operative Federation Ltd.
बिहार स्टेट मिल्क को-ऑपरेटिव फेडरेशन लि०
Unit:-**Cattle Feed Plant, Hotwar,Ranchi** – 834012 (Jharkhand)
Phone No:- 2275817, Email:- cfpran1993@gmail.com

निविदा में संलग्न किये गये कागजातो की सूची (चेक लिस्ट)

क्रमांक	कागजात का नाम	संलग्न की स्थिति
01.	निविदा प्रपत्र का मूल्य रू0 1180.00 बैंक ड्राफ्ट / प्राप्ति रसीद मूल प्रति	हॉ / नही
02.	निविदा के साथ अग्रधन की राशि रू 10,000.00 बैंक ड्राफ्ट	हॉ / नही
03.	पैन कार्ड की छाया प्रति (स्वप्रमाणित)	हॉ / नही
04.	वस्तु एवं सेवाकर पंजीकरण का छाया प्रति (स्वप्रमाणित)	हॉ / नही
05.	निविदादाता का पत्राचार का पता साक्ष्य सहित (स्वप्रमाणित)	हॉ / नही
06.	अन्तिम तीन वित्तीय वर्ष का आयकर रिटर्न की छाया प्रति (स्वप्रमाणित)	हॉ / नही
07.	निविदादाता के पास कम से कम पॉच ट्रको की उपलब्धता सम्बन्धी दस्तावेज नियन्त्रणाधीन / अनवंधित (स्वप्रमाणित)	हॉ / नही
08.	स्वम की गाडियों या लीज / अनुबंध पर ली गई गाडियों की ऑनर बुक, रोड परमिट एवं अद्यंतन बीमा के साथ–साथ लीज / अनुबंध की छाया प्रति (स्वप्रमाणित)	हॉ / नही
09.	निविदादाता की अन्तिम छः माह का अद्यतन बैंक विवरणी की छाया प्रति (स्वप्रमाणित)	हॉ / नही
10.	निविदादाता को किसी सरकारी व अन्य किसी संस्था के द्वारा काली सूची में नही डाला गया हो / कोई मुकद्दमा नही किया गया हो से सम्बन्धित धोषणा पत्र (स्वप्रमाणित)	हॉ / नही

निविदादाता का हस्ताक्षर
(मुहर के साथ)

Bihar State Milk Co-Operative Federation Ltd.
बिहार स्टेट मिल्क को-ऑपरेटिव फेडरेशन लि०

COMFED

Unit:-**Cattle Feed Plant, Hotwar,Ranchi** – 834012 (Jharkhand)
Phone No:- 2275817, Email:- cfpran1993@gmail.com

निविदा प्रपत्र– 1
परिवहन निविदा की मुख्य शर्ते

1. निविदादाता निविदा प्रपत्र की शर्त्तों को भली–भांति पढ़कर एंव समझकर प्रपत्र को भरेंगें । अगर निविदा संबंधी कोई जानकारी/स्पष्टता प्राप्त करनी हो तो मुख्य कार्यपालक, पशु आहार कारखाना, रॉची के मोबाईल न0 9473199962/65 पर सम्पर्क किया जा सकता है ।
2. पशु एंव पक्षी आहार (फीड) का परिवहन पशु आहार कारखाना, रॉची से कॉम्फेड से सम्बद्ध संधो ईकाईयों एंव अन्य सरकारी प्रक्षेत्रों, ईकाईयों के अतंर्गत कुल 42 गन्तव्य स्थानों (प्रपत्र –4) के लिए प्रस्तावित है तथा मासिक फीड परिवहन की मात्रा औसतन 900–2000 मे0टन संभावित है ।
3. निर्गत निविदा प्रपत्रों में भरी गई निविदा ही स्वीकार की जायेगी । भरी गई निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदादाता का मुहर के साथ हस्ताक्षर **अनिवार्य** होगा ।
4. यदि निविदादाता निविदा प्रपत्र कॉम्फेड की वेवसाइट www.sudha.coop से डाउनलोड करते है तो भरी हुई निविदा प्रपत्र के साथ, निविदा प्रपत्र का मूल्य रू0 1180.00 (एक हजार अक सौ अस्सी) का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो '' **बिहार स्टेट को–ऑपरेटिव मिल्क प्रोडयूसर्स फेडरेशन लिमिटेड ''** के नाम होगा तथा रॉची में भुगतेय होगा, संलग्न करना अनिवार्य होगा, अन्यथा निविदा अमान्य होगा।
5. निविदा के साथ अग्रधन (EMD) की राशि 10,000.00 (दस हजार रूपये मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो '' **बिहार स्टेट को–ऑपरेटिव मिल्क प्रोडयूसर्स फेडरेशन लिमिटेड ''** के नाम होगा तथा रॉची में भुगतेय होगा, अग्रधन के रूप में संलग्न करना **अनिवार्य** होगा । इस राशि पर कोई ब्याज देय नही होगा । निविदा में असफल निविदादाता का अग्रधन चेक के द्वारा वापस किया जायेगा ।
6. निविदा प्रपत्र दो भागों में आमंत्रित किए गए है **तकनीकी निविदा** जिसमें प्रपत्र –2 एंव 3 है तथा वित्तीय निविदा जो प्रपत्र 4 है, को भरकर एंव हस्ताक्षर कर अलग – अलग लिफाफा में मुहरबंद/सील कर भरें जाए तथा लिफाफे के उपर निविदादाता अपना पूरा पता तथा '' परिवहन हेतु तकनीकि निविदा '' लिखकर समर्पित करेंगें । परिवहन दर हेतु निविदा प्रपत्र–4 में भरे जाएगें तथा इसे हस्ताक्षर कर अलग लिफाफा में जिसपर '' परिवहन हेतु दर '' को लिखकर दोनो लिफाफा का एक अलग लिफाफा में डालकर कुरियर/स्पीड पोस्ट मुख्य कार्यपालक, पशु आहार कारखाना, होटवार, पोस्ट– बुटी चौक, रॉची – 834012, को नियत तिथि एंव समय तक समर्पित करेंगें ।
7. तकनीकी रूप से सफल निविदा के लिए अनिवार्य अहर्ता एंव योग्यता :–

   क) निविदा प्रपत्र मूल्य 1180/– बैंक ड्राफ्ट/ प्राप्ति रसीद मूल प्रति में ।
   ख) निविदा के साथ अग्रधन की राशि 10,000/– बैंक ड्राफ्ट ।
   ग) पैन कार्ड की छाया प्रति । (स्व प्रमाणित)
   घ) गुडस एण्ड सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन की छाया प्रति । (स्व प्रमाणित)
   ड़) निविदादाता का पत्राचार पता साक्ष्य– सहित । (स्व प्रमाणित)
   च) अंतिम तीन वित्तीय वर्ष का आयकर रिटर्न की छाया प्रति । (स्व प्रमाणित)
   छ) निविदादाता के पास कम से कम 5 गाड़ियों की उपलब्धता होनी चाहिए, जो स्वंय का या नियंत्रणाधीन/अनुबंधित होनी चाहिए ।

ज) स्वंय की गाड़ियों या लीज एंव अनुबंध पर ली गई गाड़ियों की ऑनर बुक, रोड परमिट एंव अद्यतन इंश्योरेन्स होना चाहिए साथ ही साथ लीज/ अनुबंध की छाया प्रति संलग्न करना आवश्यक है।

झ) निविदादाता को छ माह का अद्यतन बैंक विवरणी संलग्न करना आवश्यक है।

ञ) निविदादाता को किसी भी सरकारी व अन्य किसी संस्थान से काली सूची में नही डाला गया हो तथा उसपर किसी तरह का मुकदमा दायर न किया गया हो, का स्वअभिप्रमाणित किया गया विवरणी संलग्न करना अनिवार्य है।

8. गाड़ी संबंधी विस्तृत जानकारी निविदा प्रपत्र –3 में भरा जाना है ।
9. निविदादाता द्वारा समर्पित किये गये दर में परिवहन संबंधी सभी खर्च एंव अन्य कर (केवल वस्तु एंव सेवा कर छोड़ कर) शामिल होगें । संवेदक द्वारा समर्पित विपत्रों में से नियमानुसार इन्कम टैक्स (टी.डी.एस) की कटौती के उपरान्त ही भुगतान किया जाएगा ।
10. वैसे सफल निविदादाता जिनका परिवहन दर न्यूनतम पाया जाता है सिर्फ उन्ही से आगे दर सम्बन्धी वार्ता की जाएगी ।
11. फीड परिवहन के दौरान रास्ते में वाहन दुर्धटना ग्रस्त होने की स्थिति में निर्धारित गंतव्य स्थानों तक परिवहनकर्ता को अपने खर्च पर दूसरे वाहन में फीड लोड कर भेजने की व्यवस्था अविलम्ब करना होगा, ताकि पशु आहारों की बर्बादी न हो एंव ससमय गंतव्य/ स्थानों पर आपूर्ति हो पाए ।
12. निविदा खोलते समय निविदादाता या उनके प्रतिनिधि को ट्रक का ऑनर बुक की छाया प्रति एंव अधिकृत करने संबंधी लीज/अनुबंध पत्र की मूल प्रति लाना अनिवार्य होगा । अधिकृत प्रतिनिधि को इतना सक्षम होना चाहिए कि निविदा खोले जाने के उपरान्त दर वार्ता एंव अन्य शर्तो पर उनसे सीधी बात की जा सके एंव वे निर्णय लेने में सक्षम हों क्योकि दर खोले जाने के उपरान्त दर एंव अन्य शर्तो पर वार्ता तत्काल की जा सकती है ।
13. किसी विशेष परिस्थिति में किसी दिन गाड़ी लोड/ अनलोड नही होने कि स्थिति में किसी प्रकार का हर्जाना का दावा मान्य नही होगा ।
14. सफल निविदादाता को गंतव्य स्थानों के अनुसार संलग्न अनुसूची–01 में दर्शायी गई राषि के अनुसार सुरक्षा/जमानत राशि पशु आहार कारखाना में एकरारनामा अवधि तक के लिये जमा करना होगा । जमानत या सुरक्षा राशि डिमान्ड ड्राफ्ट या बैंक गारन्टी के रूप में होगा जो कियी राष्ट्रीकृत/अनुसूचित बैंक से निर्गत होगा तथा '' **बिहार स्टेट को–ऑपरेटिव मिल्क प्रोडयूसर्स फेडरेशन लिमिटेड ''** के नाम होगा तथा रॉची में भुगतेय होगा । इस राशि पर कोई व्याज देय नही होगा तथा एकरारनामा अवधि में निविदा के किसी शर्त के उल्लंधन अथवा अवहेलना करने पर उक्त राशि को पूर्णतः जब्त करने अथवा आंशिक कटौती के लिये पशु आहार कारखाना, होटवार, रॉची पूर्णतः स्वंतंत्र होगा ।
15. निविदादाता को निविदा प्रपत्र में वर्णित 42 गन्तव्य/ स्थानों में से कम से कम 10 गन्तव्य/ स्थानों के लिए अपना दर समर्पित करना **अनिवार्य** होगा यदि निविदादाता द्वारा 10 गन्तव्यों से कम गन्तव्यों के लिए दर दिया जाता है तो उक्त निविदा पर विचार नही किया जायेगा ।
16. निविदादाता द्वारा विभिन्न गंतव्यो के लिए दिया गया दर न्यूनतम दूरी व रेगुलर उपयोग में अपनाए जाने वाले रास्ते का प्रयोग के अनुरूप देना आवश्यक है।
17. यदि कार्य का आवंटन एक या एक से अधिक निविदादाताओं के बीच किया जाता है तो प्रत्येक उस सफल निविदादाता को (जिन गंतव्यों में उनका दर न्यूनतम होगा) अनुसूची –01 में दर्शायी गई राशि के अनुरूप सुरक्षा राशि जमा करना होगा । उदाहरणस्वरूप जिस निविदादाता का जिन 10 गंतव्यों में दर न्यूनतम पाया जाता है, तो उन 10 गंतव्यों के लिये दर्शायी गई राशि सुरक्षा राशि के रूप जमा करनी होगी ।
18. सफल निविदादाता को 1000.00 (एक हजार रूपये) मात्र के नन जूडिसियल स्टैम्प पेपर पर वैधानिक रूप से एकरारनामा कार्यावंटन की तिथि से 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर सम्पन्न करना अनिवार्य होगा । एकरारनामा का प्रपत्र पशु आहार कारखाना, रॉची से उपलब्ध कराया जायेगा ।
19. ट्रक लोडिंग का कार्य पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक ही किया जायेगा ताकि अपराह्न 5.00 बजे तक सभी लोड गाड़ियों का चालान आदि निर्गत किया जा सके । परिवहन संवेदक स्वंय अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि पूर्वाह्न 10.00 (दस) बजे से अपराह्न 4.00 बजे (चार बजे) तक पशु आहार कारखाना से गाड़ी निकलने तक पर्यवेक्षण करेंगें तथा उसके अगले दिन भेजे जाने वाले आहारों के लिये ट्रक व्यवस्था करने

की जानकारी प्राप्त करेंगें ताकि उसी के अनुरूप वे खाली ट्रक पशु आहार कारखाना भेज सके । कारखाना स्तर से उन्हें दूरभाष से भी ट्रक भेजने की सूचना दी जा सकती है , तदनुरूप वे उसकी व्यवस्था करेंगें ।

20. परिवहन कार्य में अधिकतम 33.00 मे0टन लोडिंग क्षमता वाले वाहन का ही उपयोग किया जा सकेगा, इसके अतिरिक्त यदि कुछ गन्तव्यों पर 5,20,25 अथवा 30 मे0टन पशु आहार आपूर्ति किया जाना होगा तो उसी के अनुरूप ट्रक उपलब्ध करना आवश्यक होगा ।
21. पशु आहार कारखाना , होटवार, रॉची से उत्पादित पशु एंव पक्षी आहार को ले जाकर निर्धारित गंतव्य स्थानों तक सुरक्षित पहुॅचाना तथा वहॉ से पावती कराकर प्राप्ति चालान पशु आहार कारखाना में जमा करना होगा ।
22. संवेदक जिन्हें कार्य आवंटित होगा उनके द्वारा भेजी गई गाड़ी के चालक,खलासी या किसी अन्य कर्मचारी द्वारा इस कारखाना को किसी प्रकार की क्षति पहुॅचाई जायेगी तो उसकी सारी जिम्मेवारी संवेदक की होगी तथा उन्हें उसकी भरपाई करनी होगी अथवा उनके परिवहन विपत्र से कटौती की जायेगी ।
23. उत्पादित फीड के परिवहन के क्रम में आहारों के भींगे रूप में पाये जाने, बोरा के गिनती कम पाये जाने या किसी अन्य प्रकार की क्षति के लिये परिवहन संवेदक जिम्मेवार होंगें । उस स्थिति में उनके परिवहन विपत्र से समतुल्य राशि की कटौती की जायेगी ।
24. यदि परिवहन संवेदक द्वारा गाड़ी मांग के विरूद्व आपूर्ति पूर्णतः या अंषतः लगातार दो दिनों तक नही की जाती है तो पशु आहार कारखाना अन्य श्रोत से गाड़ी की व्यवस्था कर फीड आपूर्ति करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होगा एंव उक्त मद में खर्च हुए अतिरिक्त परिवहन राशि को संवेदक के परिवहन विपत्र से समायोजित/कटौती कर ली जाएगी । किसी प्रकार की आपदा, लोक सभा एंव विधान सभा के चुनाव की स्थिति में इन शर्तो में ढील दी जा सकती है । जो पूर्णतः प्रबन्धन के अधिकार क्षेत्र में होगा । यदि संवेदक द्वारा लगातार चार से पॉच दिनों तक ट्रक उपलब्ध नही कराये जाते है तो योजना कार्यादेश रद्द करते हुए जमानत की राशि जब्त कर सकती है।
25. डीजल के मुल्य में कमी/बढ़ोतरी होने पर स्वीकृत दर में समानुपतिक कमी/वृद्धि की जायगी । यह कमी/वृद्धि डीजल के मुल्य में समेकित रूप से 5.00 रूपया प्रति ली0 की दर से वृद्धि/कमी होने पर ही मान्य होगी ।एवं इसकी गणना निम्नलिखित फार्मूला के आधार पर की जायेगी जिसे परिवहन संवेदक को स्वीकार करना होगा।

    परिवहन दर में परिवर्तन प्रति मे0टन (रू0 में) = [डीजल की दरो में वृद्वि/कमी प्रति लीटर (रू0 मे) x वाहन को गंतव्य तक पहुचने में डीजल की खपत (ली0 में)] / वाहन की परिवहन क्षमता (मे0 टन)

26. ट्रकों की अधिकृत लोडिंग क्षमता से अधिक वजन का डिस्पैच नही किया जायेगा । गाड़ी की क्षमता सम्बन्धी जॉच संवेदक या उनके प्रतिनिधि द्वारा की जायेगी । लोडिंग क्षमता से अधिक लोडिंग करवाते पाये जाने पर एंव उससे होने वाले किसी भी प्रकार की क्षति के लिए संवेदक स्वंय जिम्मेवार होंगें । साथ ही इस स्थिति से यदि कारखाना को कोई क्षति होती है तो उस की भरपाई उनके विपत्रों/जमानत राशि से भी की जा सकती है।
27. संवेदक एंव कॉम्फेड के बीच आपसी सहमति के आधार पर प्रस्तावित अवधि के विस्तार करने पर विचार किया जा सकता है ।
28. निविदा में अलग से कोई शर्त लिखना मान्य नही होगा तथा अलग से शर्त देने पर वैसे निविदा को रद्द किया जा सकता है ।
29. निविदादाता/निविदा फर्म का वस्तु एंव सेवा कर (जी.एस.टी.) का निबंधन अनिवार्य होगा । सम्बन्धित सरकारी विभाग से निर्गत निबन्धन सर्टिफिकेट, पैन कार्ड तथा ईन्कम टैक्स रिटर्न की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रतियों निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
30. वैसे निविदादाता जिनके पास अपना ट्रक है, वे निविदा के साथ सभी ट्रकों का ऑनर बुक की छाया प्रतियॉ एंव बीमा की छाया प्रतियॉ अवश्य संलग्न करें जिससे यह स्पष्ट हो सके कि उनके द्वारा ट्रको का निबंधन एंव बीमा अनुमान्य है ।

31. यदि कुल गन्तव्यों में से एक या एक से अधिक निविदादाता सफल होते है तो वैसी स्थिति में अधोहस्ताक्षरी को यह अधिकार सुरक्षित होगा कि वह विभाजित कर एक या एक से अधिक निविदादाताओं को परिवहन कार्य आवंटित करें, बशर्ते कि वेसे सफल निविदादाता अनुसूची –01 में दर्शायी गई राशि के अनुरूप सुरक्षा राशि जमा करने के लिए सहमत हो । यदि वे सहमत नही होते है तो उक्त गंतव्यो का परिवहन कार्य अन्य निविदादाता को आवंटित कर दिया जायेगा परन्तु सफल निविदादाता को यह लिखित रूप में देना होगा ।
32. ज्यादा गंतव्यों में जिसका दर न्यूनतम पाया जायेगा उन्हें प्राथमिकता दी जायेगी, बशर्ते अन्य कोई सफल संवेदक कार्य करने पर सहमत नही हो । वैसी स्थिति में सभी गन्तव्यों के लिए उनसे दर वार्ता के उपरांत ही कार्यावंटन आदेश निर्गत होगा ।
33. जिन गन्तव्यों तक आहार पहुॅचाना है, उसकी सूची संलग्न निविदा प्रपत्र –04 में वर्णित है, जिसमें दर भरा जाना है ।
34. कार्य आवंटन का आदेश मुख्य कार्यपालक, पशु आहार कारखाना, रॉची के द्वारा निर्गत किया जाएगा तथा कार्य आवंटन के उपरान्त किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में पहले आपसी सहमति से विचार विमर्श कर उसका निदान किया जायेगा । आपसी सहमति से निदान नही होने की स्थिति में प्रबन्ध निदेशक, कॉम्फेड, पटना द्वारा लिया गया निर्णय दोनो पक्षों को मान्य होगा ।
35. **सफल निविदादाता जिन्हें कार्यादेश निर्गत होगा, प्रत्येक दस दिनों के अन्तराल पर विपत्रों को भुगतान हेतु सारे संबंधित प्रपत्रों के साथ सम्बन्धित दुग्ध संघों / इकाईयों में समर्पित करना होगा, सारे विपत्रों के जॉचोपरांत विपत्र का भुगतान चेक के माध्यम से किया जायेगा ।**
36. **क्रमांक संख्या 01 से 36 तक में अंकित गंतव्यों तक परिवहन किये गये आहारों के विपत्रों का भुगतान सम्बन्धित दुग्ध संधों व इकाईयों द्वारा किया जायेगा ।**
37. **क्रमांक संख्या 37 से 42 तक में अंकित गंतव्यों तक परिवहन किये गये आहारों के विपत्रों का भुगतान पशु आहार कारखाना, रॉची द्वारा किया जायेगा ।**
38. प्राकृतिक आपदा एंव अन्यान्य कारणों से मुख्य मार्ग/ सामान्यतया : उपयोग में लाये जाने वाले मार्ग को परिर्वितित कर अन्य मार्ग से पशु आहार परिवहन करने की स्थिति में, गंतव्य स्थान तक तय की गई 15 कि0मी0 की अतिरिक्त दूरी तक कोई अतिरिक्त भाड़ा देय नही होगा । 15 कि0मी0 से अधिक दुरी तय करने की दशा में गन्तव्य स्थान तक निर्धारित दर के अनुपात में ही अधिक तय की गई दुरी का भाड़ा देय होगा, परन्तु इसके लिए सफल निविदादाता को पशु आहार कारखाना रॉची के मुख्य कार्यपालक को पूर्व में जानकारी देना अनिवार्य होगा। पूर्व में जानकारी नही दिए जाने के कारण तय किए गए अतिरिक्त दूरी का विपत्र का भुगतान नही किया जाएगा अथवा किसी प्रकार का दावा भी मान्य नही होगा।
39. आहार परिवहन की मात्रा किसी माह में कम अथवा किसी माह में अधिक हो सकती है फलस्वरूप आहार की मात्रा के अनुरूप परिवहन हेतु ट्रक उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।
40. आवश्यकता के अनुरूप 10 सं 15 किलोमीटर आपस में दूरी तक के दो गंतव्यों का आहार एक ट्रक के माध्यम से भेजा जा सकता है। जिसका परिवहन सफल निविदादाता को करना होगा।
41. किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र रॉची होगा ।
42. बिना कारण बताये एक या सभी निविदा को किसी भी स्टेज में रद्द करने का अधिकार मुख्य कार्यपालक, पशु आहार कारखाना,रॉची को सुरक्षित रहेगा ।
43. सफल निविदादाता जिन्हें कार्य आवंटित होगा कार्य सम्पादन हेतु स्वयं /अनुबंधित वाहनों के अतिरिक्त खुले बाजार से ट्रक उपलब्ध कराते हुए परिवहन कार्य करा सकते है किन्तु यदि किसी भी परिस्थिति में खुले बाजार से उनके ट्रक उपलब्ध कराने में परेशानी होती है तो परिवहन सम्बन्धी कार्य अनुवंधित नियंत्राधिन / स्वयं के ट्रक से सम्पन्न कराना अति आवश्यक होगा ताकि सभी गंतव्यों / स्थानो तक आहार की आपूर्ति ससमय सुनिश्चित हो सके ।

उपरोक्त सभी शर्ते स्वीकार है ।

निविदादाता का हस्ताक्षर
(मुहर के साथ)

तिथिः–

Bihar State Milk Co-Operative Federation Ltd.
बिहार स्टेट मिल्क को-ऑपरेटिव फेडरेशन लि०

COMFED

Unit:-**Cattle Feed Plant, Hotwar,Ranchi** – 834012 (Jharkhand)

Phone No:- 2275817, Email:- cfpran1993@gmail.com

<u>उत्पादित फीड परिवहन हेतु तकनीकी निविदा प्रपत्र – 02</u>

पासपोर्ट साईज फोटो का स्पेस

1. आवेदक का नाम ——————————————————
2. आवेदक की स्थिति ——————————————————
   व्यक्तिगत / फर्म / कम्पनी ——————————————————
   ——————————————————
3. आवेदक का स्थायी पता ——————————————————
   ——————————————————
   ——————————————————
4. आवेदक का पत्राचार का पता ——————————————————
   (प्रमाणक का छायाप्रति संलग्न करें): ——————————————————
   ——————————————————
   ——————————————————
5. आवेदक का दूरभाष संख्या ——————————————————
6. आवेदक या अधिकृत व्यक्ति का मोबाईल नम्बर ——————————————————
7. पैन संख्या ——————————————————
   (आवेदक का पैन कार्ड संख्या)
8. गुडस एण्ड सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन संख्या– ——————————————————
   (आवेदक का गुडस एण्ड सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन संख्या)
9. परिवहन हेतु प्रस्तावित गाड़ियो की संख्या

स्वंय की गाड़ियों की संख्या	लीज / अनुबंध पर ली गयी गाड़ियों की संख्या

Bihar State Milk Co-Operative Federation Ltd.
बिहार स्टेट मिल्क को-ऑपरेटिव फेडरेशन लि०

Unit:-**Cattle Feed Plant, Hotwar,Ranchi** – 834012 (Jharkhand)
Phone No:- 2275817, Email:- cfpran1993@gmail.com

10. निविदा प्रपत्र मूल्य एंव अग्रधन की राशि रूपये में

विवरण	निविदा प्रपत्र मूल्य की राशि	अग्रधन की राशि
अंक / शब्दों में		
बैंक ड्राफ्ट संख्या		
निर्गत करने वाले बैंक का नाम / दिनांक		
शाखा का नाम		

11. आवेदक की वित्तीय स्थिति :

कारोबार (रू0 लाख में)

वित्तीय वर्ष 2018 – 19
वित्तीय वर्ष 2019 – 20
वित्तीय वर्ष 2020 – 21

(क) निविदादाता को उपरोक्त तीन वर्षो का आयकर रिर्टन की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है ।

(ख) सत्यापित करता हूँ कि मेरे द्वारा उपर दी गई जानकारी सत्य है । दी गयी जानकारी या उसके किसी अंश के किसी भी स्तर पर गलत पाये जाने पर मेरी निविदा पशु आहार कारखाना,रॉची रद्द करने के लिये स्वतंत्र है ।

(ग) निविदा की सभी शर्ते स्वीकार्य एंव मान्य है ।

दिनांक :–

निविदादाता का हस्ताक्षर
(मुहर के साथ)

Bihar State Milk Co-Operative Federation Ltd.
बिहार स्टेट मिल्क को-ऑपरेटिव फेडरेशन लि०
Unit:-**Cattle Feed Plant, Hotwar,Ranchi** – 834012 (Jharkhand)
Phone No:- 2275817, Email:- cfpran1993@gmail.com

उत्पादित फीड परिवहन हेतु तकनीकी निविदा प्रपत्र –3

परिवहन हेतु व्यवहार मे लाये जाने वालों ट्रको की विवरणी –

क्रमांक	ट्रक का निबन्धन संख्या	मालिक का नाम एंव पता	क्या ट्रक अपना है अथवा नियंत्रणाधीन हॉ / नही	ऑनर बुक का छाया प्रति संलग्न की गई है अथवा नही (हॉ/नही)	नियंत्रणाधीन ट्रक के ऑनर बुक के साथ– साथ शपथ पत्र की प्रति संलग्न की गई है या/नही
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

दिनांकः:–

निविदादाता का हस्ताक्षर

(मुहर के साथ)

नोटः– निविदादाता और भी ट्रकों की विवरणी दे सकते है यदि उनके पास उपलब्ध हो

Bihar State Milk Co-Operative Federation Ltd.
बिहार स्टेट मिल्क को-ऑपरेटिव फेडरेशन लि०
Unit:-**Cattle Feed Plant, Hotwar,Ranchi** – 834012 (Jharkhand)
Phone No:- 2275817, Email:- cfpran1993@gmail.com

वित्तीय निविदा प्रपत्र – 4

(क) गंतव्यों /स्थानों की सूची जहॉ के लिये परिवहन दर आमंत्रित है ।

क्रमांक	गंतव्यों /स्थानों का नाम	परिवहन वाया गांधी सेतु पटना परिवहन दर प्रति टन (रू0)	परिवहन वाया भागलपुर सेतु भागलपुर परिवहन दर प्रति टन (रू0)	अभियुक्ति
01.	बरौनी डेयरी			
02.	मुसहरी महिला (बछवाड़ा, बेगुसराय)			
03.	मझौल (बेगुसराय)			
04.	तेतरी(बेगुसराय)			
05.	मटिहानी (बेगुसराय)			
06.	रामपुर कचहरी (बेगुसराय)			
07.	श्रीपुर मझौल (बेगुसराय)			
08.	भगतपुर बलिया (बेगुसराय)			
09.	कमला गमहरियां (खगड़िया)			
10.	अम्बा रसौक (खगड़िया)			
11.	औगान , बरौनी (बेगुसराय)			
12.	नया गॉव दियारा परवत्ता (खगड़िया)			
13.	प्रगतिषील जीविका (खगड़िया)			
14.	उत्तरी पनसल्वा (खगड़िया)			
15.	हर्ष जीविका (खगड़िया)			
16.	गौछारी महेषखूट (खगड़िया)			
17.	दुग्ध शीतक केन्द्र , (खगड़िया)			
18.	रौन (खगड़िया)			
19.	समस्तीपुर डेयरी, समस्तीपुर			
20	दुग्ध शीतक केन्द्र रोसड़ा			
21.	दरभंगा डेयरी, दरभंगा			

(ख) गंतव्यों /स्थानों की सूची जहॉ के लिये परिवहन दर आमंत्रित है ।

क्रमांक	गन्तव्या का नाम	परिवहन दर प्रति टन (रू0)	अभियुक्ति
22.	हलसी (लक्खीसराय)		
23.	बलगूदर (लक्खीसराय)		
24.	सरलाही,सूर्यगढ़ा (लक्खीसराय)		
25.	भागलपुर डेयरी, भागलपुर		
26.	दुग्ध शीतक केन्द्र , बॉका		
27.	दुग्ध शीतक केन्द्र (मुंगेर)		
28.	जमुई डेयरी, जमुई		
29.	पीरपैती (भागलपुर)		
30.	कोशी डेयरी प्रोजेक्ट (पूर्णिया)		
31.	सुपौल दुग्ध शीतक केन्द्र (सुपौल)		
32.	सहरसा दुग्ध शीतक केन्द्र		
33.	उदाकिषुंनगंज (मधेपुरा)		
34.	किशनंगज		
35.	अररिया शीतक केन्द्र		
36.	रॉची डेयरी, रॉची		
37.	चतरा (सरकार प्रक्षेत्र)		
38.	कॉके सुकर प्रक्षेत्र, रॉची		
39.	स्थानीय होटवार, रॉची		
40.	गेरियाकरमा (हजारीबाग)		
41.	सरायकेला		
42.	बोकारो		

नोटः– (क) क्रमांक 37 से 42 तक के गंतव्यों पर ट्रक से माल अनलोडिंग का भी कार्य परिवहन संवेदक के स्तर से ही किया जायेगा, जिसका खर्च का भुगतान पशु आहार कारखाना, रॉची द्वारा स्वीकृत दर पर ही किया जायेगा ।

(ख) क्रमांक 36,38,39 एवं 42 में अंकित गंतव्यों के लिए आहारो का परिवहन छोटी गाड़ी यथा टाटा 407 या इसके सम्तुल्य गाड़ियों पर किया जाता है जबकि क्रमांक 40,37 एवं 41 में अंकित गन्तव्यों का परिवहन 20 मे0टन क्षमता वाले वाहन से किया जायेगा । अतः निविदादाता इन गंतव्यों हेतु छोटी गाड़ी के अनुरूप प्रति मिट्रिक का दर अभियुक्ति कॉलम में भरेगें ।

निविदादाता का हस्ताक्षर
(मुहर के साथ)

Bihar State Milk Co-Operative Federation Ltd.
बिहार स्टेट मिल्क को-ऑपरेटिव फेडरेशन लि०

COMFED

Unit:-**Cattle Feed Plant, Hotwar,Ranchi** – 834012 (Jharkhand)
Phone No:- 2275817, Email:- cfpran1993@gmail.com

क्रमांक	गणतव्य के नाम	जमानत की राशि (रू0 में)
1.	बरौनी डेयरी	75,000.00
2.	श्रीपुर मझौल (बेगुसराय)	5,000.00
3.	मुसहरी महिला (बछवाड़ा, बेगुसराय)	25,000.00
4.	प्रगतिषील जीविका (खगड़िया)	10,000.00
5.	नयागॉव दियारा,परबत्ता(खगड़िया)	2,500.00
6.	तेतरी(बेगुसराय)	2,500.00
7.	मटिहानी (बेगुसराय)	5,000.00
8.	मझौल (बेगुसराय)	10,000.00
9.	रामपुर कचहरी (मझौल, बेगुसराय)	10,000.00
10.	खगडिया शीतक केन्द्र	25,000.00
11.	रौन(खगड़िया)	10,000.00
12.	गौछाड़ी(महेषखुँट, खगड़िया)	25,000.00
13.	उत्तरी पनसल्वा (खगड़िया)	2,500.00
14.	हर्ष जीविका (खगड़िया)	2,500.00
15.	बालगुदर, लक्खीसराय	25,000.00
16.	भगतपुर बलिया (बेगुसराय)	2,500.00
17.	सरलाही , सुर्यगढ़ा (लख्खीसराय)	5,000.00
18.	कमला गमहरिया (खगड़िया)	2,500.00
19.	पीरपैंती (भागलपुर)	5,000.00
20.	औगान , बरौनी (बेगुसराय)	2,500.00
21.	आगापुर समसा (बेगुसराय)	2,500.00
22.	समस्तीपुर डेयरी	75,000.00
23.	रोसड़ा शीतक केन्द्र	75,000.00
24.	दरभंगा डेयरी	10,000.00
25.	सुपौल शीतक केन्द्र	10,000.00
26.	सहरसा शीतक केन्द्र	5,000.00
27.	पूर्णिया डेयरी	25,000.00
28.	उदाकिषुनगंज, मधेपुरा	2,500.00
29.	किशन गंज	2,500.00
30.	अररिया शीतक केन्द्र	2,500.00
31.	भागलपुर डेयरी	25,000.00
32.	बॉका शीतक केन्द्र	25,000.00
33.	मुगेंर शीतक केन्द्र	25,000.00

34.	जमुई डेयरी	25,000.00
35.	पीरपैंती (भागलपुर)	5,000.00
36.	चतरा	10,000.00
37.	गौरियाकरमा हजारीबाग	25,000.00
38.	सरायकेला	25,000.00
39.	बोकारों	5,000.00
40.	रॉची डेयरी, रॉची	10,000.00
41.	कांके सुकर प्रक्षेत्र, रॉची	10,000.00
42.	स्थानीय होटवार, रॉची	5,000.00
43.	कुल योग	6,57,500.00